198

-1-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप, सागर (म.प्र.)

R-923-III/2005

रामदयाल तनय खेतसिंह काछी
साकिन – गौरझामर, तह. देवरी जिला – सागर (म.प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

1– वैभव अव्यस्क पुत्र व वली कोमलचंद्र लोधी
2– श्रीमती अवधरानी जोजे तुलसीराम पटैल
3– राजारानी बेबा मन्नूलाल पटैल
4– तुलसीराम तनय मन्नूलाल पटैल
5– बाबूलाल तनय मन्नूलाल पटैल
6– कीरत तनय मन्नूलाल पटैल
7– लालसिंह तनय मन्नूलाल पटैल
8– कमल तनय मन्नूलाल पटैल
9– बालचंद तनय मन्नूलाल पटैल
10– मोहन तनय मन्नूलाल पटैल
11– श्रीमती ललिताबाई बेबा नंदराम पटैल
12– अन्नू तनय नंदराम पटैल
13– गुड्डू तनय नंदराम पटैल
14– हरीशचंद्र उर्फ बब्बू तनय नंदराम पटैल
15– संतोष तनय नंदराम पटैल

सभी निवासी – ग्राम गौरझामर तह. देवरी जिला सागर ...अनावेदकगण

अपील प्रकरण क्रमांक ता. पेशी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करता है :

आवेदक कमिश्नर सागर द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 226 / अ–27 / 2000–01 में पारित आदेश दिनांक 19.4.2005 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत करता है।

संक्षिप्त तथ्य :

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य यह है कि रामदयाल ने नायब तहसीलदार देवरी के न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 178 के अंतर्गत ग्राम गौरझामर स्थित शामिल शरीक भूमि खसरा नं. 169 रकबा 0.39 हेक्टेयर के बंटवारा का आवेदन दिया। जिस पर नायब तहसीलदार ने दिनांक 31.12.97 को उभयपक्षों के मध्य बंटवारा आदेश पारित किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। एस.डी.ओ. ने 29.4.98 को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने दिनांक 21.6.2001 को निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध कमिश्नर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जिसे दिनांक 19.4.2005 को निरस्त कर दी। इस कारण से श्रीमान् के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 923-III/05 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.8.16.	प्रकरण आज पेश हुआ। प्रकरण में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अतः प्रकरण [illegible] पर समाप्त किया जाता है पश्चात सूचित हो। अभिलेख वापिस भेजा जावे। (हस्ताक्षर) सदस्य	